

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षेक छत्तीसगढ़ एवं वन बल प्रमुख

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाषः 0771 - 2512840

ई - मेलः apcef-lm.cg@gov.in

नया रायपुर, दिनांक 25/10/2023

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-908/ २५५२२ प्रति,

> **प्रमुख सचिव** छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :—

Diversion of 0.828 Ha. forest land in favour of PWD Dhamtari, for construction of High Level Bridge and its approach road across Balka River on Tatwa-Birnasilli road near CRPF camp, under Forest (Conservation) Act, 1980 at Village-Birnasilli, Block-Nagri, District-Dhamtati, Chhattisgarh पंजीयन कमाक – FP/CG/Others/149523/2021

- संदर्भः १ भ
 - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/IROCH-19/ 2023/ 1412 दिनांक 24.05.2023
 - प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक छ.ग. का पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–536/4817 दिनांक 12.10.2023

२३२२ विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें ।

संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति जारी की गई है।

संवर्भित पत्र—2 के माध्यम से उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:—

बि क्र_	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(i)	Legal status of the diverted land shall remain unchanged.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–1) ।
(ii)	Compensatory afforestation;	
(iii)	The state government shall ensure the Compensatory afforestation, plantation of 1000 tall plants of navive tree species in the vicinity of the area, in lieu of the forest area being diverted at the cost of User Agency and the report shall be submitted to IRO, Raipur. The cost of Compensatory afforestation at the	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। राज्य कैम्पा के अंतर्गत सिंचित मिश्रित क्षतिपूर्ति फलदार वृक्षारोपण कार्य कक्ष क्रमांक 351 रकबा 1.00 हे. में किया जावेगा। शर्त अनुसार CA हेतु रू. 1589396.00 का
	prevailing wage rates as per Compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme	भुगतान दिनांक 15.09.2023 को कैम्पा खाते में जमा किया गया है। पुष्टि हेतु आनलाईन भुगतान पत्रक संलग्न है। (संलग्नक–2) ।

Letter Vividh Palan Prativadan 2023 (1) - 112 -

qu

6	बि क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
161		may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
F	(iv)	NPV	
	(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.828 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006, letter No. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009, letter No. 5-3/2011- FC (Vol-1) dated	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) में आंकलित राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008, एवं 09.05.2008 आदेशानुसार व्यपवर्तित की जाने वाली रकबा 0.828 हे. के लिए शुद्ध प्रत्याशा मुल्य (NPV) राशि 56,18,436.00/– रूपये दिनांक 15.09.2023 को केम्पा खाते में जमा किया गया है। पुष्टि हेतु आनलाईन भुगतान पत्रक संलग्न है। (संलग्नक–2)।
	(b)	22.03.2022 in this regard; Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदस्त्र्य का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–3)
	(v)	No tree cutting shall be permitted in the diverted forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–4)।
	(vi)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portai (https://parivesh.nic.in/);	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
	(vii)	The State Government of Chhattisgarh Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के संदर्भ में प्रकरण हेतु कलेक्टर जिला—धमतरी द्वारा जारी FRA प्रमाण पत्र Annexure-II संलग्न है। (संलग्नक—6)।
	(viii)		ु का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–7) ।
	(ix)		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

٠,

1

बि क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
(X)	User Agency shall obtain Environmental Clearance	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
	as per the provisions of the Environmental	का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक8) ।
	(Protection) Act, 1986, if applicable;	
(xi)	No labour camp shall be established on the forest	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
	land;	का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–9) ।
(xii)	The User Agency shall provide fuels preferably	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
	alternate fuels to the labourers and the staff working	का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–10) ।
	at the site so as to avoid any damage and pressure on	
·	the nearby forest areas;	
(xiii)	The forest land shall not be used for any purpose	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
	other than that specified in the proposal;	का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–11) ।
(xiv)	The layout plan of the proposal shall not be changed	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
	without the prior approval of the Central	का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–12)।
	Government;	
(xv)	No additional or new path will be constructed inside	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
	the forest area for transportation of construction	का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक–13) ।
	materials for execution of the project work;	
(xvi)	The period of diversion under this approval shall be	
	co-terminus with the period of lease to be granted in	
	favour of the user agency or the project life,	
	whichever is less;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
(xvii)	The forest land proposed to be diverted shall under no	
	circumstances be transferred to any other agencies,	
	department or person without prior approval of Govt. of India:	
(xviii)		 शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
(лүш)	violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and	
	action would be taken as per the MoEF&CC	
	Juideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018;	
(xix)	Any other condition that the Ministry of	े शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय
	Environment, Forests & Climate Change may) का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक—17) ।
	stipulate from time to time in the interest of	
	conservation, protection and development of forests	3
	& wildlife;	
(xx)	The compliance report shall be uploaded on e-porta	। शर्त अनुसार पालन प्रतिवेदन अपलोड किय
	(https://parivesh.nic.in/).	जावेगा।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

02 प्रति में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-908/ २५५८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतुः

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ, अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- 2. क्षेत्रीय निदेशक, उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व, राजा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3. **उप निदेशक,** उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद, छत्तीसगढ़।
- 4. **कार्यपालन अभियंता**, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ) **ॢ**छुत्तीसगढ़

40